निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय

टॉउन वेंडिंग कमेटी चुनाव

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

नई दिल्ली -110001

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 10.01.2018 को रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित स्ट्रीट वेण्डर्स (आजीविका का संरक्षण तथा स्ट्रीट वेंडिंग विनियम) नियमावली, 2017 के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र हेतु फर्स्ट टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। जनोदय एकता समिति (पंजी.) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, डब्ल्यू.पी.सी. नं. 6622/2015 दिनांक 05-09-2017 तथा अधिसूचित नियमावली के नियमों में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्ट्रीट वेंडर्स पात्र होंगे। तदानुसार वोटर्स जो वोट डालने के लिये पात्र है, की सूची निर्वाचन अधिकारी के नोटिस बोर्ड तथा प्रवर्तन विभाग में उपलब्ध होने के अतिरिक्त दिनांक 27-03-2018 को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी।

टीवीसी में आरक्षण स्ट्रीट वैण्डर अधिनियम 2014 तथा स्ट्रीट वेंडर्स नियमावली,2017 में अधिसूचित के अनुसार होगा।

अनुसूची के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने हेतु, वोटर के पास मूल दस्तावेजों जैसे वोटर-आई कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड तथा अन्य कोई अधिकृत वोटर आई डी जिसकी सामान्य चुनावों में अनुमति हो, होगा। वोटर को दी गई तहबाजारी या लाईसेंस अथवा वर्ष 2007 योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म जमा कराने के समय जारी की गई रु.100/- की मूल रसीद को भी साथ लेकर आएगा। कोई वोटर जो मूल दस्तावेज जैसे वोटिंग के लिये वैध पहचान पत्र तथा तहबाजारी/लाईसेंस अथवा रु. 100/- की मूल रसीद नहीं लाता है तो उसे चुनाव प्रकिया में वोट/भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मृत/मृतक, वेंडर्स/हॉकर्स के आश्रितों/उत्तराधिकारियों तथा ऐसे मामले जहॉ लाईसेंस समाप्त/रद्द हो चुका है, टी.वी.सी. के चुनाव में पोलिंग हेतु योग्य/पात्र नहीं है।

फर्स्ट टॉउन वेंडिग कमेटी न.दि.न.परिषद् के लिए 12 सदस्यों के निर्वाचन हेतु अनुसूची निम्न प्रकार से है:-

दिल्ली वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण तथा स्ट्रीट वेंडिंग विनियम) नियमावली, 2017 के नियम 13 के अनुसार स्ट्रीट वेंडर्स की सूची के प्रकाशन की तिथि	सूची पहले ही दिनांक 27 मार्च 2018 को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी तथा समाचार पत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि 6 जुलाई 2018 है।
नामांकन दायर करने की तिथि	27 जुलाई, 2018 (शुक्रवार)
नामांकन दायर करने की अन्तिम तिथि	3 अगस्त, 2018 (शुक्रवार)
नाम वापिस लेने की अन्तिम तिथि	6 अगस्त, 2018 (सोमवार)
नामांकन की संवीक्षा की तिथि एवं पात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन	7 अगस्त, 2018 (मंगलवार)
पोलिंग की तिथि	24 अगस्त, 2018 (शुक्रवार)
पोलिंग का स्थान	नवयुग स्कूल, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली
पोलिंग की समयावधि	प्रात: 09.00 से सांय 05.00 बजे तक
वोटों की गिनती की तिथि	24 अगस्त, 2018 (शुक्रवार) नवयुग स्कूल, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में सांय 6 बजे से।
जिस तारीख पर चुनाव पूरा हो जाएगा/परिणाम घोषित किया जाएगा	24 अगस्त, 2018 (शुक्रवार)

27/7/2018

(वाई.वी.वी.जे. राजशेखर)
निवार्चन अधिकारी
टी.वी.सी. चुनाव
न.दि.न.प.

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER
TOWN VENDING COMMITTEE ELECTIONS
NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL
NEW DELHI-110001

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed to all concerned that the first Town Vending Committee will be constituted for New Delhi Municipal Council area as per Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017, notified by Govt. of NCT of Delhi dated 10.01.2018. The eligible street vendors for participating in election process will be in terms of the Rules notified and as per the decision of Hon'ble High Court in the matter of Janodaya Ekta Samiti (Regd.), in WP(C) No. 6622/2015 dated 05.09.2017. Accordingly the list of voters who are eligible for casting vote, was uploaded on NDMC's Website on 27.03.2018 besides available on the notice board of Returning Officer and Enforcement Department.

The reservation in TVC shall be in accordance with Street Vendor Act-2014 and as per the notified the street vendors Rules of 2017.

For participating in the election process as per schedule, the voter shall possess/carry any of the original documents such as Voter I-Card, Aadhar Card, Driving license, passport, Ration Card and any other authorized voter ID that is allowed in the general elections. The voter shall also bring in the original Tehbazari/license granted or original receipt for depositing application form alongwith original receipt of Rs. 100/- issued at the time of deposition of application form under 2007 scheme. Any voter who does not carry original documents i.e. any valid Identity Card for voting and Tehbazari/license or original receipt of Rs. 100/-, he/she will not be allowed to cast the vote/participate in the election process. The dependents/successors of expired/deceased vendors/hawkers and cases where license expired/cancelled are not allowed/eligible for polling in election of the TVC.

The Schedule for Election of 12 members for First Town Vending Committee, New Delhi Municipal Council is as under:-

Date of Publication of list of street vendors as per Rule 13 of Delhi Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017.	The list was already published on NDMC's Website on 27th March, 2018 and the date of publication of notification in newspapers is 6th July, 2018(Friday)
Date of filing Nomination.	27th July, 2018 (Friday)
Last Date of filing Nomination.	3rd August, 2018 (Friday)
Last Date of withdrawal.	6th August, 2018 (Monday)
Date of scrutiny of Nominations and publication of final list of eligible candidat	7th August, 2018 (Tuesday)
Date of Polling.	24th August, 2018 (Friday)
Place of Polling.	Navyug School, Sarojini Nagar, New Delhi-11002
Time period of polling.	09.00 AM to 05.00 PM
Date of counting of votes.	24th August, 2018 (Friday) at Navyug School, Sarojini Nagar, New Delhi from 6 PM onwards.
Date on which election shall be completed/Result Announced.	24th August, 2018 (Friday)

(Y.V.V.J. Rajasekhar)
Returning Officer
TVC Elections, NDMC